

झारखण्ड सरकार
(कृषि विभाग)
कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल झारखण्ड राँची
पत्रांक..... 113

प्रेषक,

नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

सेवा मे,

में 0. निरीक्षक-चुनू बाप राठगीठगीठरा
राँची

4873

राँची दिनांक 08/3/17

विषय:-आपके निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या..... का वर्ष 2017 के लिए स्वीकृत/नवीकृत किए जाने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपके आवेदन पर विचार करते हुए इस शर्त पर यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जा रही है कि आप विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 23(2) तथा झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के नियम 11(3) के अन्तर्गत प्रावधानों का तथा साथ ही अनुज्ञप्ति के पीठ पर अंकित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे/आपका निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या..... का वर्ष 2017 के लिए नवीकृत कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु०:-01.मूल निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता

अनुज्ञप्ति सं०- 2

02.मूल मनी रसीद सं० 864180
22.12.16

विश्वासभाजन
नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची
दिनांक.....

ज्ञापांक.....

प्रतिलिपि:- 1.संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....

2.उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....

3.सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....

4.निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान.....को सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

२०१० - ८६५१८० ₹-१६०००
२३/११/१६

अनुज्ञप्ति प्ररूप
प्ररूप एल आर -3

000087

मपीकृत



झारखण्ड सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के मरम्मत के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ०२

वर्ष २००२

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक निम्नलिखित के मरम्मत के लिए में श्री गिरीश चन्द्र बोष एचजी०जी० एच० (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को अनुज्ञप्ति देता है :
श्रीमती ज्योत्सना बोष ५/०७ श्री संजीव कुमार बोष २/०३ श्री सुप्रियो बोष ३/१० श्री संजीव कुमार बोष, दुमसावेली, चर्च रोड, राँची।
(यहाँ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की किस्म के बारे दीजिए जिनकी पक्षकार द्वारा मरम्मत की जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है) अंशारण टंकी एवं फ्लोमीटर के मरम्मत हेतु।
2. यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए उसके दुमसावेली, चर्च रोड, राँची में स्थित कर्मशाला की बावत विधिमान्य है।
3. यह अनुज्ञप्ति निर्गत तिथि से ३१.१२.२०१७ तक विधिमान्य है।
4. मरम्मतकर्ता नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी।
5. पक्षकार को नीचे उल्लेखित क्षेत्र में बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।

मुद्रा

स्थान राँची

तारीख

नियंत्रक विज्ञान विभाग
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

नोट - फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले सब व्यक्तियों के नाम पैरा-1 में दिए जाने चाहिए।